मु.नं.–12 / 2021 GCMS ID-2021/5 ता.रजु–15.01.2021 (8)

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

केवल चंद मीना पुत्र श्रीकिशन मीना, निवासी परमेश्वर नगर, प्रभु की बगिया के सामने, मसूदा रोड, ब्यावर जिला अजमेर (राज.) — अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–31.03.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 27.01.21, 02.03.21, 09.03.21, 24.03.21, 30.03.21, 31.03.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम आखावाड़ा की सरकारी जमीन पर किये गये अतिक्रमण की पटवारी हल्का को मोबाइल पर दी गई सूचना एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिनांक 06.11.2019 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2021 / 63 दिनांक 12.02.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम को उनके पत्रांक 497 दिनांक 23.09.2020 को अंतरित कर दिया गया है। अतः उनके कार्यालय स्तर से प्रकरण को खारिज किये जाने का श्रम फरमावें।
6. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम ने पत्रांक 165 दिनांक 24.02.2021 से अवगत करवाया है कि उनके पत्रांक–आर.टी.आई. / 2020 / 759 दिनांक 23.10.2020 से अपीलार्थी को सूचना भिजवाई जा चुकी है।
7. बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम द्वारा अपीलाथी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है जिससे यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त विनिश्च से संतुष्ट है।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली